न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 207/2019

1. रामस्वरूप पुत्र बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
2. भूरसिंह पुत्र बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
3. सुलतान पुत्र बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. बीरबलराम पुत्र कालुराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
2. रूपा देवी पुत्री बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
3. किरसना पुत्री बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
4. मंजू देवी पुत्री बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढ़ेर के खाता सं0 57/5 के खसरा सं0 106 की 5.9180है0 खसरा सं0 107 की 5.7160है0 कुल 11.6340है0 बारानी खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम के नाम 5.8170है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं 1 बीरबलराम की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 बीरबलराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजयीन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रामस्वरूप वादी सं0 2 भूरसिंह वादी सं0 3 सुलतान तथा प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय [illegible] वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.0[illegible] मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सत्यनारायण
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 207/2019

1. रामस्वरूप पुत्र बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
2. भूरसिंह पुत्र बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
3. सुलतान पुत्र बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. बीरबलराम पुत्र कालुराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
2. रूपा देवी पुत्री बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
3. किरसना पुत्री बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
4. मंजू देवी पुत्री बीरबलराम जाति खाती निवासी बुढ़ेर त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानूप्रताप सिंह **: वादीगण**

वकील श्री पवन सिहाग **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 22.03.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बुढ़ेर के खाता सं0 57/5 के खसरा सं0 106 की 5.9180है0 खसरा सं0 107 की 5.7160है0 कुल 11.6340है0 बारानी खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम के नाम 5.8170है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीगण के दादा कालुराम की खातेदारी हुआ करती थी। कालुराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 4 व 5 की ओर से दावा की सभी मदें स्वीकार कर जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 को वकील वादी ने तर्क कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामस्वरूप पुत्र बीरबलराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी खतौनी रोही बुढ़ेर प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही बुढ़ेर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। पीडब्ल्यु 1 रामस्वरूप पुत्र वीरवलराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमावंदी खतौनी रोही बुढ़ेर प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमावंदी प्रदर्श 2 व 3 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 4 में वारिस प्रमाण के अनुसार बीरबलराम के तीन पुत्र रामस्वरूप, भूरसिंह, सुलतान व तीन पुत्रियां रूपा देवी, किरसना, मंजू देवी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 जन्म से हक हिस्सा निहित है । अतः वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढ़ेर के खाता सं0 57/5 के खसरा सं0 106 की 5.9180है0 खसरा सं0 107 की 5.7160है0 कुल 11.6340है0 बारानी खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम के नाम 5.8170है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं 1 बीरबलराम की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 बीरबलराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजयीन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रामस्वरूप वादी सं0 2 भूरसिंह वादी सं0 3 सुलतान तथा प्रतिवादी सं0 1 बीरबलराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

(सत्य नारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner